संख्या 1610 /XXII(4)/2012/68/08

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0 एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सश0 एवं बा0 वि0 विभाग, देहरादून: दिनांक 19 जून 2012

विषयः **समन्वित बाल विकास विभाग के अनतर्गत सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2013 तक बनाये रखने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त आपके पत्र संख्या 309/आई0सी0डी0एस0/800—पदो निर0/2012—13 दिनांक 13.04.2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या 1161/XVII(4)/2011/68/08 दिनांक 13.05.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समन्वित बाल विकास विभाग के अनतर्गत सृजित अस्थायी पदों जिनका उल्लेख संलग्नको में किया गया है, को दिनांक 28 फरवरी 2013 तक बर्शेत इससे पूर्व इन पदों को बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, की निरन्तरता बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

2— गत वर्ष इन पदों की निरन्तरता अवधि दिनांक 01मार्च 2011 से 29 फरवरी 2012 तक शासनादेश संख्या दिनांक 13.05.2011 द्वारा प्रदान की गयी थी ।

3— भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत सृजित चालक के पदों को मृत कैडर घोषित कर दिया गया है, अतएव वर्तमान पदधारक चालक जिस परियोजना में तैनात है/ किये जायेगें, वहॉ उक्त पद स्थापित माना जायेगा ।

4— उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—2013 के आय—व्यय के निम्नांकित अनुदान संख्या में निर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत उपलेखा शीर्षक से वहन किया जायेगा ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	उपलेखाशीर्षक
15	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (कमशः) 02— समाज कल्याण (कमशः) 102—बाल कल्याण (कमशः) 01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (कमशः)	102—समन्वित बाल विकास योजना। (100 प्रतिशत केन्द्र सहायता) 0103—निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र सहायता) 0104—समन्वित बाल विकास के लिये जिला स्तरीय स्टॉफ की व्यवस्था (100 प्रतिशत केन्द्र सहायता)
30	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (कमशः) 02— समाज कल्याण (कमशः) 102—बाल कल्याण (कमशः) 01-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (कमशः)	0203—समन्वित बाल विकास योजना। (100 प्रतिशत केन्द्र सहायता)
31	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (कमशः) 02— समाज कल्याण (कमशः) 796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना (कमशः)	04—समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (100 प्रतिशत केन्द्र सहायता)

भवदीया

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्याः 1610 (1)/XVII(4)/2012/68/08 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, पौड़ी गढ़वाल / नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव